संख्या-54/2022/832/सैंतीस-2-2022/001-1(48)/2017

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-06 जून, 2022

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय कुक्कुट/बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान अवधि हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-118/सात-3/कु./रा.कु.प्र./2021-22, दिनांक-20.05.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-103-कुक्कुट विकास-08-राजकीय कुक्कुट/बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-44.03 लाख (रूपये चौवालिस लाख तीन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
02-मजदूरी	2.66
08-कार्यालय व्यय	0.13
09-विद्युत देय	11.66
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.13
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	0.13
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	1.33
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.33
29-अनुरक्षण	3.33
42-अन्य व्यय	23.33
योग-	**44.03**

(रूपये चौवालिस लाख तीन हजार मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण/व्यय में शासनादेश संख्या-763/सैंतीस-2-2006-1(15)/01, दिनांक-20.06.2006 द्वारा प्रख्यापित रिवाल्विंग फण्ड की नियमावली व अन्य संगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में संग्रहित/जमा किया जाता है और उस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(4) मानक मद 29-अनुरक्षण में स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-26 अगस्त, 2014 के प्राविधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करा ली जायेगी।

(5) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(6) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(8) धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जाये।

(10) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2021, दिनांक-30.12.2021 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2403001030800 (राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001030800 राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों	02 मजदूरी	2,66,000 (रुपये दो लाख छियासठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		का विस्तार एवं सुदृढीकरण		
2	015	2403001030800 राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	08 कार्यालय व्यय	13,000 (रुपये तेरह हजार मात्र)
3	015	2403001030800 राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	09 विद्युत देय	11,66,000 (रुपये ग्यारह लाख छियासठ हजार मात्र)
4	015	2403001030800 राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	13,000 (रुपये तेरह हजार मात्र)
5	015	2403001030800 राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13,000 (रुपये तेरह हजार मात्र)
6	015	2403001030800 राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,33,000 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
7	015	2403001030800 राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,33,000 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
8	015	2403001030800 राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	29 अनुरक्षण	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
9	015	2403001030800 राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	42 अन्य व्यय	23,33,000 (रुपये तेईस लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**44,03,000** **(रुपये चवालीस लाख तीन हजार मात्र)**
महायोग				44,03,000 (रुपये चवालीस लाख तीन हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक-29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-54/2022/832(1)/सैंतीस-2-2022/001-1(48)/2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।